—: सार्वजनिक नीलामी सूचना :—

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड में स्थित जलपान गृह (कैन्टीन) को आगामी दो वर्ष (दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.12.2022 तक) के लिये ठेके पर देने हेतु खुली बोली की जानी है। पूर्व नियत तिथि पर कोई बोलीदाता उपस्थित न होने के कारण पुनः नीलामी हेतु **दिनांक 30.01.2021** की तिथि नियत की जाती है। जलपान गृह को ठेके पर लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति उक्त नियत तिथि के अपरान्ह 2:00 बजे तक कलेक्ट्रेट प्रांगण में उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते हैं। बोली गठित समिति के समक्ष सम्पादित की जायेगी।

बोली में सम्मिलित होने वाले बोलीदाता को अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के प्रस्तर–36 में उल्लिखित प्रविधानों के अनुरूप जमानत के रूप में रू0 5,000.00(पाँच हजार) की धरोहर धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक, बैंक गारान्टी के रूप में सदर नजारत, जिला कार्यालय गोपेश्वर में जमा करनी होगी। धनराशि जमा करने वाला व्यक्ति ही बोली में भाग ले सकता है। बोली बोलने वाले व्यक्ति को कम से कम रू0–1,00,000.00(एक लाख) का हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे। बोली समाप्त होने पर जिस व्यक्ति की सबसे उच्चतम बोली होगी, वही अन्तिम रूप से स्वीकृत करने योग्य होगी। उक्त व्यक्ति की धरोहर धनराशि जमा ही रहेगी और शेष व्यक्तियों की धनराशि तुरन्त वापस की जायेगी। अधोहस्ताक्षरी को अधिकार होगा कि वे किसी व्यक्ति की बोली को बिना बताये अस्वीकृत/निरस्त कर सकते हैं, जिस व्यक्ति के नाम कैन्टीन का ठेका स्वीकृत होगा। उससे निम्न शर्तो का पालन करना होगा :—

1 जिस व्यक्ति के नाम अन्तिम बोली स्वीकृत होगी, उसे बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत जमानत के रूप में तुरन्त नगद जमा करना होगा।

2 कैन्टीन भवन में किसी प्रकार का अन्य निर्माण कार्य नहीं करना होगा।

3 कैन्टीन ठेकेदार को नियमानुसार तुरन्त एग्रीमेंट बॉण्ड भरकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इन सभी शर्तो का उल्लेख होगा साथ ही स्वंय कैन्टीन को चलाना होगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा।

4 कैन्टीन ठेकेदार को सभी के साथ सद्व्यवहार करना होगा तथा अनुशासित ढंग से रहना होगा।

5 कैन्टीन ठेकेदार को कैन्टीन के आस–पास की सफाई व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा कैन्टीन भवन पर कोई तोड़–फोड़ नहीं करनी होगी।

6 कैन्टीन में नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची लगी होनी चाहिये तथा सभी खाद्य पदार्थ अच्छी किस्म के एवं सभी वस्तुयें हर समय उपलब्ध रखनी होगी।

7 कैन्टीन का निरीक्षण समय–समय पर प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों/प्रधान नाजिर द्वारा किया जाता रहेगा, और नीलामी तथा अनुबन्ध पत्र की शर्तों के उल्लंघन की दशा में ठेका निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

8 कैन्टीन ठेकेदार की सभी वस्तुयें सही दरों पर बेचनी होगी तथा जब भी मूल्यों में बृद्धि की जानी हो तो प्रभारी अधिकारी नजारत जिला कार्यालय चमोली–गोपेश्वर की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

9 कैन्टीन के किराये को मासिक किस्तों में दूसरे माह के प्रथम सप्ताह तक जमा करना होगा। यदि नियत समय में किराया जमा नहीं किया गया, तो किराये के साथ 10 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क जमा करना होगा।

क्रमशः (2) पर

10 कैन्टीन का ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को दिनांक **31–01–2021** से तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि ठेकेदार नियत समय पर कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थ रहा,तो अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे स्वीकृत बोली को अस्वीकृत कर ठेकेदार की जमानत की धनराशि जब्त करअन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते है।

11 कैन्टीन की मरोम्मत्, साज–सज्जा कैन्टीन ठेकेदार को स्वयं जुटानी होगी तथा विद्युत एवं पेयजल आदि की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी।

12 उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लधंन होने पर अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि कैन्टीन का ठेका किसी भी समय निरस्त कर सकते है।

दिनाँक गोपेश्वर

ह0/–
(स्वाति एस. भदौरिया)
जिलाधिकारी
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या: 4141 /नौ–29 (2008–2009) दिनाँक : गोपेश्वर 19 जनवरी 2021

प्रतिलिपिः–निम्नांति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त उप जिलाधिकारी जनपद चमोली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

2– जिला सूचना अधिकारी चमोली को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

3– मुख्य विकास अधिकारी चमोली को नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

4– समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत जनपद चमोली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6– सार्वजनिक स्थल/कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली को इस आश्य के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकाशन सम्बन्धित सूचना जनपद की अधिकृत बेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8– परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को इस आशय से प्रेषित कि वे एस.एच.जी. को भी अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

9– कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी
कृते–जिलाधिकारी, चमोली।